"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 329-अ] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 27 दिसम्बर 2002—पौष 6, शक 1924

गृह (परिवहन) विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 दिसम्बर 2002

अधिसूचना

क्रमांक F-5-46/दो/परिवहन-आठ/2002.—छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994 के नियम 63 उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा अतिरिक्त परिवहन आयुक्त को राज्य परिवहन प्राधिकार, छत्तीसगढ़ का सचिव नियुक्त करती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. विजयवर्गीय, अपर मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 27 दिसम्बर 2002

क्रमांक F-5-46/दो/परिवहन-आठ/2002.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना समसंख्यक दिनांक 27-12-2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. विजयवर्गीय, अपर मुख्य सचिव.

Raipur, the 27th December 2002

NOTIFICATION

No. F 5-46/दो/Transport-आठ/2002.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 63 of Chhattisgarh Motor Vehicles Rules, 1994, State Government hereby, appoint Additional Transport Commissioner as Secretary to the State Transport Authority, Chhattisgarh.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh.
A. K. VIJAYAVRGIYA, Additional Chief Secretary.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.